157

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :–एफ. 22 (108)परि/प्रवर्तन/स.जा.अ./08–09/33626 जयपुर दिनांक :– 29/7/09

कार्यालय आदेश संख्या......21..../09

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 136/2003 परमजीत भसीन बनाम संघ और अन्य प्रकरण में दिनांक 09.11.2005 को पारीत निर्णय में ओवरलोड माल परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देशों की पालना हेतु।

विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2009 से क्षमता से अधिक भार वहन करने वाले ट्रकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त कार्यवाही के तहत् सभी जिलों में ओवरलोडिंग को रोकने के सम्बन्ध में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। परन्तु अभी भी ट्रकों द्वारा क्षमता से अधिक भार वहन करने की शिकायते प्राप्त हो रही है। विशेषतः मार्बल सेक्टर अभी भी ओवरलोड चल रहा है। अतः समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की प्रति पुनः प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि क्षमता से अधिक भार वहन के संचालन को रोकने हेतु निम्नलिखित ओवरलोड परिवहन के सम्भावित क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यवसायियों एवं कम्पनियों को माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की प्रति संलग्न कर नोटिस जारी करे कि यदि उनके द्वारा ओवरलोड माल भरा गया तो उनके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 136/2003 परमजीत भसीन बनाम संघ और अन्य प्रकरण में दिनांक 09.11.2005 को पारीत निर्णय की अवहेलना के कारण अवमानना/अभियोजन/अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए व्यवसायी/कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी।

ओवर लोड परिवहन के संभावित क्षेत्रों की सूची :–

1. पत्थर परिवहन से सम्बन्धित क्षेत्र
   (मार्बल, कोटा स्टोन, जोधपुर पत्थर, करौली पत्थर आदि)
2. नमक परिवहन से सम्बन्धित क्षेत्र
3. समस्त माल परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्ट कम्पनियां
4. सीमेन्ट फैक्ट्रीयां
5. लोहे एवं सीमेन्ट के खम्बे (च्वसम) बनाने वाली फैक्ट्रीयां
6. लोहा व्यवसायी
7. ईट भट्टे एवं बजरी व्यवसायी
8. स्टोन क्रेशर व्यवसायी
9. सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले ठेकेदार
10. अन्य सम्भावित ओवरलोड परिवहन भरने वाले व्यवसायी

उपरोक्त समस्त व्यवसायी/कम्पनियों को नोटिस तामिल कराये जाने की सूची 15 दिवस में मुख्यालय प्रेषित करे। यदि नोटिस तामिल कराये जाने के पश्चात् भी ओवरलोड माल परिवहन पाया जाता है तो सम्बन्धित व्यवसायी/कम्पनी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

यदि ओवरलोड माल परिवहन करते हुये वाहन पाया जाता है तो उसे जब्त किया जाकर ऑफ लोड कराया जाये एवं ऑफ लोड कराये जाने की विडियो रिकार्डिंग करवायी जावे एवं सक्षम न्यायालय में ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जावे तथा वाहन मुक्त करने के पूर्व वाहन स्वामी/वाहन चालक से भविष्य में ओवरलोड माल परिवहन नही करने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्राप्त कर लेवें। इसके साथ ही वाहन का पंजीयन/परमिट एवं वाहन चालक का लाईसेंस निलम्बन करने की कार्यवाही

भी की जावे। माल देने वाली कम्पनी, व्यवसायी, वाहन स्वामी व चालक के विरूद्ध के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना के कारण अवमानना/अभियोजन/अन्य कानूनी कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही के बिना यदि ओवरलोड वाहन को छोड़ा जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के हाल ही में हुए निर्णय एवं मुख्यालय के द्वारा बार-बार जारी किये गये निर्देशों के बावजूद अगर वाहन ओवर लोड संचालित है तो उसके लिए जिला परिवहन अधिकारी/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होगे एवं आगामी पेशी पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी को व्यक्तिशः माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अवमानना नोटिस का जवाब देना होगा।

38627-37
29.07.09

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

प्रतिलिपि :—निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य परिवहन मंत्री।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव।
5. समस्त अधिकारी मुख्यालय।
6. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
7. समस्त अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
8. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
9. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र।
10. अतिरिक्त प्रति समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के प्रति जिले में कार्यरत सभी परिवहन निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों को उपलब्ध करा देवे।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)